न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 89/2010

प्रियंकादेवी पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू —वादी

बनाम

1. गिरवरसिंह पुत्र बहादूरसिुह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ
2. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नवलगढ जरिये मैनेजर बैंक आफ बडौदा शखा नवलगढ जिला झुन्झुनू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन भूमि व लगान तथा स्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 53 व 188 रा.का.अधि. 1955

निर्णय

निर्णय तिथि 13.06.2018

वादीया द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बुगाला की सरहद में भूमि ख.न. 826/2.15 है0 स्थित है जिसके 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार वादिया है तथा शेष 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नं.1 है और इन्ही हिस्सोंनुसार खातेतदार काश्तकार हैं तथा काबिज हैं और जमाबंदी आदि राजस्व रिकार्ड में भी उपरोक्तानुसा सही हिस्से दर्ज किये गये हैं। उपरोक्त शामलाती कृषि भूमि का आज दिन तक वादिया व प्रतिवादी नं. 1 के बीच कोई भी विधिवत विभाजन नही हुआ है और ना ही लगान का बंटवारा किया गया है। शामलाती खातेदारी रहने से भारी परेशानी पैदा होती है तथा आगे भविष्य में भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिये वादिया अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की भूमि का खाता अलग से कायम करवाने के लिये ही यह दावा कर रही है।

अतः वाद बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम बुगाला की सरहद में स्थित कृषि भूमि ख.न. 826 रकबा 2.15 है0 का विधिवत विभाजन किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर मौके से कुरेजात रिपोर्ट मंगवाई जावे तथा मुताबिक कुरेजात बंटवारे की डिक्री पारित की जावे तथा तहसीलदार नवलगढ को आदशित किया जावे।

प्रतिवादी नं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित शामलाती भूमि में किसी प्रकार का कोई पुख्ता या खाम निर्माण कार्य कर वादग्रस्त भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज नही करे तथा विधिवत विभाजन के बाद वादिया के हिस्से में आई वादग्रस्त आराजी पर वादीया के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने काश्त करने व हिस्से की जमीन में आने जाने वाले रास्ते से होकर आने जाने में कोई रूकावट या बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और नाही अपने किसी नोकर चाकर आदि से रूकावट पैदा करवाये।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नं. 2 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जबाब दावा प्रस्तुत होने पर तनकियात कायम की गई परन्तु वादीया व प्रतिवादी नं. 1 के बीच राजीनामा होने से पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी का कोई विवाद नही रहा है। वादी व प्रतिवादी की और से राजीनामा पेश कर वर्णित किया गया कि ग्राम बुगाला में भूमि ख.न. 826 रकबा 2.15 है0 स्थित भूमि में 1/2 हिस्सा वादीनी का है और 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का है। इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है और काबिज व आबाद है उक्त प्रश्नगत भूमि का वादिनी व प्रतिवादी नं. 1 अपने राजीनामे के मुताबिक विभाजन करवाना चाहते हैः—

1. यह है कि प्रश्नगत कृषि भूमि में वादिनी प्रियंका देवी का 1/2 हिस्सा पश्चिमी तरफ का भाग एवं उसमें आने जाने का रास्ता 12 फीट चौडा उतरी सीमा के सहारे सहारे चलकर कायम रहेगा। जिसके मुताबिक वादिनी का 1/2 हिस्से के अनुसार कुल रकबा 1.0750 है0 भूमि का अलग खाता दर्ज किया जावे। तथा वादिया के निजी रास्ते से पूर्वी भाग से होकर प्रचलित रासते में आने जाने में पक्षकारान द्वारा कोई बाधा पैदा नही की जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

गया है कि प्रश्नगत कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा पूर्वी तरफ का रहेगा और उतर दिशा में वादिनी का निजी रास्ता है जिसके मुताबिक प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्से के अनुसार 1.0750 है0 का अलग खाता दर्ज किया जावे।

पक्षकारान द्वारा राजीनामा के साथ नक्शा भी प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि पक्षकारान द्वारा राजीनामा व नजरी नक्शा पेश कर अलग अलग खाता विभाजन चाहा है अतः प्राथमिक डिक्री की आवश्यकता न होने पर प्रस्तुत राजीनामा व सलग्न नजरी नक्शे पर ही पक्षकारान को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम बुगाला संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न. 826 रकबा 2.15 है0 की खातेदारी गिरवरसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत सा. जाखल हि0 1/2 प्रियंकादेवी पत्नी सुरेशकुमार हि0 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन प्रियंकादेवी पत्नी सुरेशकुमार हि0 1/2 बी.ओ.बी.शाखा नवलगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। राजीनामा के साथ प्रस्तुत नक्शा में वादीया की पश्चिमी और 1/2 हिस्से की खातेदारी जिसमें उतर दिशा की तरफ का 12 फीट चौडा रास्ता भी शामिल है। एव प्रतिवादी नं. 1 की पूर्वी दिशा की और 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्शाई गई है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त आराजी वादीया व प्रतिवादी नं. 1 की शामलाती खातेदारी की भूमि है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीया स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीया मुताबिक राजीनामा व सलग्न नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाता है। राजीनामा व सलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। ग्राम बुगाला की भूमि ख.न. 226 रकबा 2.15 है0 में 1/2 हिस्सा अर्थात 1.0750 है0 का वादीया (जिसमें मुताबिक नक्शा 12 फीट चौडा रास्ता भी शामिल है) व 1/2 हिस्सा अर्थात 1.0750 है0 का प्रतिवादी नं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त घोषित खातेदारी का मुताबिक राजीनामा व नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/6/18

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत विभाजन भूमि व लगान तथा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा संः0:– **89/2010** (प्रियंकादेवी बनाम गिरवरसिंह आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दूर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.06.2018 निर्णय अनुसार वाद वादीया मुताबिक राजीनामा व सलग्न नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाता है। राजीनामा व सलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। ग्राम बुगाला की भूमि ख.न. 226 रकबा 2.15 है0 में 1/2 हिस्सा अर्थात 1.0750 है0 का वादीया (जिसमें मुताबिक नक्शा 12 फीट चौडा रास्ता भी शामिल है) व 1/2 हिस्सा अर्थात 1.0750 है0 का प्रतिवादी नं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त घोषित खातेदारी का मुताबिक राजीनामा व नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे।

जिन..........–.................... मुबलिग...........–............बाबत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.......–...................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 13 माह 06 सन.2018. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
उपखण्ड अधिकारी
मोहर
नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00